न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

सीएमएस नं. 2024/251
मुकदमा नम्बर 98/2024 दर्ज दिनांक– 13.06.2024

पोकर उर्फ पोकरमल पुत्र मालाराम जाति कुम्हार निवासी कारी,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप कुमार सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.07.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 174 पुराना 163 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 833 रकबा 1.63 है0 जिसके राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम पोकर पुत्र मालाराम के स्थान पर पोकरमल पुत्र मालाराम दर्ज किया जावे।

आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र के साथ एक शपथ पत्र तथा नाम की शुद्दि के सम्बन्ध मे पहचान दस्तावेजों की प्रति यथा जमाबन्दी, आधारकार्ड, पहचान पत्र , राशनकार्ड, पैन कार्ड इत्यादी की प्रति पेश की है। आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र के जरिये जो दुरूस्ती चाही है वह लिपिकीय त्रुटी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा, ग्राम कारी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि खाता सं. नया 174 पुराना 163 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 833 रकबा 1.63 है0 जिसके राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम पोकर पुत्र मालाराम के स्थान पर पोकरमल पुत्र मालाराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

153

Scanned with CamScanner